समान नागरिक संहिता : महिलाओं के अधिकारों के लिए वरदान या अभिशाप

डॉ. कुमारी सीमा
सहायक प्राध्यापक (अतिथि)
इतिहास विभाग श्यामलाल कॉलेज (सांध्य)

सारांश
भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों को हमारे लोकतंत्र में प्रमुख सिद्धांत के रूप में परिकल्पित करता है। यह अपने अधिकारों मे से एक, समानता के अधिकार को उन सभी लोगों के लिए एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ा हैं जिन्हें ''भारतीय नागरिक'' कहा जाता है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के तहत अनुच्छेद 44 भारतीय राज्य को समान नागरिक संहिता को लागू करके पूरे देश में एक ही कानून का पालन करने की टिप्पणी करता है।
समान नागरिक संहिता हमारे समाज में महिलाओं की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस कानून से महिलाओं के अधिकारों को मजबूती मिलने के साथ ही उन्हें कानूनी सुरक्षा भी दी जा सकेगी। वर्तमान में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए अलग-अलग पर्सनल लॉ है, जिससे कई बार विशेषकर महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन होता है इस तरह नागरिक संहिता सामाजिक समरसता और न्याय की गारंटी बनकर उभरा हैं।

मुख्य शब्द
(भारतीय संविधान, मौलिक अधिकार, लोकतंत्र, परिकल्पित समानता के अधिकार, भारतीय नागरिक, नीति निर्देशक सिद्धांत, सुरक्षा और न्याय, विभिन्न धार्मिक समुदायो, अल्पसंख्यकों के अधिकार,सामाजिक समरसता)।

समान नागरिक संहिता क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों

समान नागरिक संहिता→ *भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए धर्म, जाति, पंथ या समुदाय से परे एक समान नागरिक कानून है इसका उद्देश्य है कि विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत कानूनों में कोई भेदभाव न हो और सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलें।*

भारत में, हमारे पास हिन्दू कानून, शरीयत कानून, शिया कानून, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम और पारसी विवाह, और तलाक अधिनियम हैं, जो क्रमशः मुसलमानों, ईसाइयों और पारसियों के लिए अपने स्वयं के एक अधिकारी को नियंत्रित करते हैं। संपत्ति और तलाक पर महिलाओं के अधिकारों को नियंत्रित करने वाले इन कानूनों को अपर्याप्त रूप से नजर अंदाज किया गया दूसरी तरफ समान कानूनों की जरूरत को राष्ट्रीय एकीकरण के लिए आवश्यक उपकरण के रूप में देखा जाता रहा है।

संविधान के उद्देश्यों का उल्लंघन→

भारतीय राज्य सामाजिक क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं को जोडने वाले व्यक्तिगत कानूनों में समानता के अधिकार को लागू करने में पीछे चल रहे हैं। इन व्यक्तिगत कानूनों से ऐसा प्रतीत हुआ कि महिलाओं के अधिकार भी सुरक्षित नहीं है। समाज सुधारकों से बर्बर कुरीतियों को समाप्त करने और महिला अधिकारों को

मान्यता दिलाने के लिए धर्मशास्त्रों का व्यापक प्रयोग किया था, लेकिन धर्म स्वभावः रूढ़िवादी ही होता है इसलिए धार्मिक वैधता को आधार बनाकर अधिकार प्राप्त करने की पद्धति की अपनी सीमाएं थी।
मुसलमानों द्वारा उठाए गए मुद्दे ज्यादातर बहुविवाह, परदा प्रथा और महिला शिक्षा से संबंधित थे। हिंदू सुधार आंदोलनों की ही भाति , बहुविवाह प्रथाओ की वैधता और अवैधता को सिद्ध करने के लिए, यहाँ भी धर्मशास्त्रों को ही आधार बना गया, यानी, क्या इस्लाम उस संबंधित प्रथा या व्यवहार को उचित मानता है या नहीं? हालांकि महिला शिक्षा और राजनीतिक गतिविधियों में उनकी हिस्सेदारी को तो एक स्तर पर स्वीकृति मिलने लगी लेकिन महिलाओ की सामाजिक स्थिति के लिए कानूनी बदलावों के लिए मुस्लिम समुदाय तैयार नही था।

हमारे मौलिक अधिकारों के लिए हमारे पास संवैधानिक उपचार है लेकिन हमारे पास व्यक्तिगत कानूनों के तहत उलंघन और भेदभाव के लिए उपचार और समाधान क्यों नहीं हैं? इसे कानून निर्माताओं द्वारा प्रसारित क्यों नहीं किया गया है? हालांकि धर्मनिरपेक्षता को एक बुनियादी विशेषता के रूप में हासिल कर लिया गया है। एक तरफ पुरुषों और महिलाओ दोनों के मतभेद और दूसरी ओर धार्मिक व्यक्तिगत कानून, अनसुलझे हैं। यूडीं एच आर मानव अधिकारों की सार्वभौतिक घोषणा। इसकी प्रस्तावना में पुरुषों की तुलना में महिलाओ को समान दर्जा, अधिकार, अवसर और स्थिति का भी उल्लेख करता है। लेकिन हमारे देश के व्यक्तिगत कानूनों में भारी अंतराल और मतभेद के कारण नजर आते हैं।

भारतीय दंड संहिता का पालन→

भारत में फिर भी एक ही कानून का पालन करने की एकरूपता केवल देश की आधिकारिक दंड संहिता जिसे भारतीय दंड सहिता, (IPC 1960) कहा जाता है, में ही मौजूद हैं, चाहे व्यक्ति का व्यक्तिगत धर्म और आस्था कुछ भी हो। इस तरह से यह स्पष्ट होता है कि केवल आपराधिक न्याय प्रणाली ही सभी के लिए एक समान कानून का पालन करती है, जबकि नागरिक कानूनों में कोई एक रूपता नहीं है क्योंकि उनके कार्यान्वयन के लिए व्यक्तिगत विश्वास और आस्थाएँ आवश्यक होती है।

ऐतिहासिक प्रगति के शुरुआती वर्षों से ही, ऐसे कई उदाहरण रहे हैं जहाँ हमारे देश में व्यक्तिगत कानूनों के औचित्य पर भेदभाव किया जाता रहा है। ऐसे कानून विवाह, तलाक, संरक्षकता, उत्तराधिकार आदि पर व्यक्ति के अधिकारों को नियंत्रित करते हैं क्योंकि ये पुराने सामाजिक मानदंडों से बनाए गये हैं। ये मानंदड परिवार जैसी सामाजिक संस्था के नियमों, रीति-रिवाजों और मान्यताओ से तैयार किए गए हैं। ऐसे कानून विशेष रूप से पितृसत्तात्मक संस्कृति को उजागर करते हैं जहाँ महिलाओ के लिए यह अत्यंत अनुचित और अनुचित हैं क्योंकि ये कानून अपने मूल में ही अत्यधिक भेदभावपूर्ण साबित होते हैं।

समान नागरिक संहिता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान→

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करना राज्य का कर्तव्य होगा।

***अनुच्छेद 14 और 15**_→ कानून के साथ समक्ष समानता और भेदभाव के विरुद्ध निषेध के सिद्धान्तों पर समान नागरिक संहिता के औचित्य का समर्थन करते हैं।*

***अनुच्छेद 44**→ इसमें कहा गया हैं कि पूरे देश में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य होगा। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसी संहिता की रक्षा के लिए, राज्य को एक समान कानून बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि सभी नागरिकों को उनके धर्म के बावजूद समानता और न्याय मिल सके।*

***अनुच्छेद 14**→ अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण है। तात्पर्य किसी भी व्यक्ति के साथ कानून द्वारा भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।*

अनुच्छेद *15→ धर्म नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, UCC भेदभाव को रोकने और समानता को बढ़ावा देने का सशक्त माध्यम है।*

अनुच्छेद *25-28→ यह धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, परन्तु यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन होगा। इन अनुच्छेदो का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी धार्मिक गतिविधि सार्वजनिक कल्याण और संवैधानिक अधिकारों में बाधा न बनें।*

अनुच्छेद *37→ यद्यपि निदेशक सिद्धांत गैर न्यायसंगत है, अर्थात उन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सका है, फिर भी वे देश के शासन में मौलिक है और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।*

विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों की तुलना→

1. भारतीय मुस्लिम कानून→

1.मुसलमानों द्वारा आपनाई गई बहुविवाह प्रथा का पालन हिंदुओं द्वारा नहीं किया जाता है, जहाँ एक पुरुष एक से अधिक पत्नियाँ रख सकता हैं, लेकिन एक महिला को अपनी ओर से ऐसा कोई अधिकार नहीं है।

2.शाहबानो बेगम का वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले से पहले, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं हिंदू तलाकशुदा महिलाओ के विपरीत एक भी रूपये का आनंद लेने की हकदार नहीं थी

3.मुस्लिम कानून के तहत, यदि दुल्हन की स्वतंत्र सहमति नहीं हैं तो विवाह को अमान्य और अवैध माना जाता है। लेकिन यही प्रावधान हिंदू दुल्हन पर लागू नहीं होता हैं।

4.मुस्लिम कानून के तहत, महिला को विरासत में मिलने वाली संपत्ति की मात्रा पुरुष को विरासत में मिलने वाली संपति की मात्रा की आधी होती है।

2. भारतीय हिंदू कानून→

1.हिंदू अल्पसंख्वाक एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 संरक्षकता के संदर्भ में माताओं को द्वितीयक दर्जा और अधीनस्थ स्थान प्रदान करता है।

2. भारत में समानता के कडे अनुयायी होने के बाद भी हमने अभी तक "वैवाहिक संपत्ति" की अवधारणा को लागू नहीं किया है, जहाँ महिलाओं के हितों की रक्षा और संरक्षण किया जाता है।

पर्सनल लॉ में ऐतिहासिक विकास→ *हाल के वर्षों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न विवादास्पद मामलों में कानूनों के स्वस्थ विकास और व्याख्या ने समुदाय, धर्म और भारतीय संविधान के बीच संतुलन स्थापित किया है*

मुस्लिम कानूनों को नियंत्रित करनें वाले वाद→

1- मानीय सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानो बेगम मामले में दंड प्रकिया सहिता की धारा 125 का प्रयोग करते हुए कहा था कि यह धारा सभी पर लागू होनी चाहिए, चाहे उनका धर्म, जाति और पंथ कुछ भी हो इसलिए सभी मुस्लिम महिलाएं तलाक के बाद भरण-पोषण पाने की हकदार होगी। यह वाद देश में "समान नागरिक सहिता'' को मृतप्राय स्वरूप को पुनः स्थापित करने में एक मील का पत्थर साबित हुआ।

2- ***डैनियल लतीफी मामले→*** *मे सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि एक मुस्लिम तलाकशुदा महिला तब तक भरण-पोषण के प्रावधान की हकदार हैं जब तक कि वह दोबारा शादी नहीं कर लेती।*

3- ***शायरा बानो वाद→*** *ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठाया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पति द्वारा तत्काल ट्रिपल तलाक की घोषणा को शून्य घोषित किया जाना चाहिए।*

भारतीय ईसाई कानूनों को नियंत्रित करने वाले वाद→

*1-**मेरी रॉय बनाम केरल राज्य**→ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक सीरियाई ईसाई महिला को उसकी पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिया जाना चाहिए।*

हिन्दू कानूनों को नियंत्रित करने वाले वाद→

*1.**विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा के वाद** में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अविभाजित हिंदू परिवार की संपत्ति में हिंदू महिलाओं को समान हिस्सेदारी एवं अधिकार देने का निर्णय दिया।*

2.हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम 2005, पुत्री को पुत्र के समान सहदायिक अधिकार प्रदान करता है।

3.सबरीमाला वाद ने मासिक धर्म वाली हिंदू महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर रोक लगाने की सदियों पुरानी प्रथा को खारिज कर दिया है। इस फैसले ने इस तथ्य को हमारे संवैधानिक उद्देश्यों का उल्लंघन मानते हुए नाजर अंदाज कर दिया और महिलाओं को मंदिर में श्रद्धापूर्वक प्रवेश का अधिकार प्रदान किया गया है।

4.जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आई पीसी की धारा 497 को अमान्य और असंवैधानिक घोषित किया क्योंकि यह केवल व्यभिचार करने वाले पुरुष पर मुकदमा चलाती है और उसे दोषी ठहराती है, जबकि महिलाओ पर नहीं।

5. व्यक्तिगत कानून संशोधन अधिनियम 2010 के तहत एक विवाहित महिला अपने विवाह के दौरान एक बच्चे को गोद ले सकती है, जो पहले महिलाओं को अधिकार नहीं दिया जाता था और केवल विवाहित पुरुषों को ही इसकी अनुमति थी।

समान नागरिक संहिता के लाभ और हानियाँ→

→ व्यक्तिगत कानूनों के कार्यान्वयन और पुरुषों और महिलाओं दोनों को समानता प्रदान करने से हमारे सम्प्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य देश में कोई लैंगिक पूर्वाग्रह नहीं रहेगा और इस प्रकार लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा।

→ धर्म समुदाय के आधार पर विशेष विशेषाधिकार या मुद्दे की राजनीतिकरण के लिए कोई स्थान नहीं होगा।

→ युवा पीढ़ी और विद्यार्थी यह देखकर काफी प्रेरित और उत्साहित होंगे कि उनकी मातृभूमि ने मानवता, समानता और विनम्रता को एक ही तराजू पर तोला है।

→ समान नागरिक संहिता के माध्यम से हम हर संकृति और छिपी रुढियों व परम्पराओं को उजागर कर सकते हैं।

→ यूसीसी के तहत एक ही कानून के तहत समान अधिकार प्राप्त होगे। जिसे भारत में एकता, अखंडता और बंधुत्व जैसे संवैधानिक उद्देश्यों को पूरा करने में सहयाता मिलेगी।

हानियाँ

→ एक समान नागरिक संहिता अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता और अधिकारों पर आघात होगी। इस तरह की धारणा ने बहुसंख्यक वर्चस्व का डर पैदा किया है।

→ भारत में विविधता के कारण धार्मिक प्रथाओ के अनुरूप सामान संहिता का पालन करना और न्याय सुनिश्चित करना एक बाधा बन गया है। संहिता में क्या शामिल होना चाहिए, इसकी व्यापक प्रकृति पर आम सहमति बनाना अभी भी कठिन है।

→ वास्तव में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए कानूनी व्यवस्थाओं और सामाजिक प्रथाओ के लिए गहराई से जड़ जमाए हुए पारंपरिक मानकों को पलटना होगा। इससे व्यावहारिक कठिनाइयाँ और प्रतिरोध पैदा होने की संभावना है।

→ समान नागरिक संहिता के विरोधियों का कहना है कि यह अनुच्छेद 25-28 के तहत निहित धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करेगा, जिसके बडे नकारात्मक सामाजिक और राजनीतिक परिणाम हो सकते है।

समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

*1. **सांस्कृतिक विविधता**→ भारत में व्यक्तिगत कानून धार्मिक रीति-रिवाजों और परंपराओं से गहराई से जुड़े हुए हैं। एक समान संहिता स्थापित विविधताओं की कीमत पर नहीं हो सकती, फिर भी यह न्यायपूर्ण और न्याय में अग्रणी होनी चाहिए।*

*2.**राजनीतिक प्रतिरोध**→ समान नागरिक सहिता का मुद्दा अक्सर विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं द्वारा धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर अपने वोट बैंक के लिए राजनीतिक साधन बन जाता है और यह वास्तव में एक निष्पक्ष और समावेशी समान नागरिक संहिता के लिए आम सहमति बनाने को आंशिक रूप से जटिल बनाता है।*

*→ **सामाजिक स्वीकृति**→ किसी भी कानून की सफलता के लिए समाज द्वारा उसकी स्वीकृति अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। सदियों पुरानी प्रथाओं और प्रथाओ में बदलाव या सुधारों को क्रमिक विकास प्रक्रिया के माध्यम से सामाजिक रूप से अनुकूलित और स्वीकार किया जाना चाहिए।*

*→ **न्यायिक प्रतिक्रिया**→ वास्तव में गंभीर न्यायिक चुनौतियां और प्रतिक्रिया हो सकती है। क्योंकि अदालतों को कई मूकदमों से निपटना होगा जोकि प्रचलित व्यक्तिगत कानूनों के साथ नई समान संहिता के टकराव के कारण उत्पन्न हो सकते है।*

*→ **शिक्षा और जागरूकता** वास्तव में नागरिको को उनके अधिकारों और यूसीसी से मिलने वाले लाभों के बारे में शिक्षित करना महत्त्वपूर्ण हैं। इसके लिए जागरूकता के लिए बड़े पैमाने पर सार्वजनिक अभियान और हितधारकों के साथ परामर्श की आवश्यकता है।*

निष्कर्ष→

भारतीय समाज में महिलाओं की स्वतंत्रता, अधिकार और उत्थान पर हमेशा से ही व्यापक चर्चा और बहस होती रही है, लेकिन अभी तक कोई बडा विकास देखने को नहीं मिलता है। हिंदू कानूनों में भारी कमियाँ है लेकिन मुस्लिम ईसाई व पारसी कानून आज भी बहुत सख्त हैं। यही कारण है कि महिलाओं के जीवन भर दूसरे लिंग के लोगों की दया पर निर्भर रहना पड़ता है।

आज के समकालीन समय में समान नागरिक संहिता निस्संदेह समाज की आवश्यकता है, लेकिन इतनी बड़ी क्रांति एक दिन में नहीं आएगी, बल्कि इसे लागू करने में वर्षों का सफर तय करना पड़ेगा। पितृसतात्मक समाज में अन्याय को समाप्त करने के लिए समान नागरिक संहिता अपने पूर्ण कार्यन्वयन के आधे रास्ते पर है। ऐसा समझा जा सकता है कि समान नागरिक संहिता समाज के लिए एक अभिशाप है, लेकिन समय के साथ, परिपक्व होकर और कुछ व्यक्तिगत कानूनों में संशोधन करके, यह निश्चित ही महिलाओं और देश के विकास में एक बड़ा वरदान साबित होगा।

इस प्रकार भविष्य में हम एक देश के रूप में इस स्थिति में पहुंच सकते हैं जहाँ संविधान के मूल उद्देश्यों के विपरीत व्यक्तिगत कानूनों को चरण-दर-चरण संशोधनों के माध्यम से समाप्त कर दिया जाएगा और वह एक ऐसा दिन होगा जब हम भारत को एक पूर्ण विकसित देश के रूप में देख सकेंगे।

संदर्भ सूची→

1. *भारत का संविधान 1950।*
2. *साधना आर्य समान नागरिक संहिताः महिला आंदोलन के सामने चुनौतियाँ Page No-307।*
3. *भारत का विधि आयोग (2023) समान अचार संहिता, पब्लिक नोटिस।*
4. *गोस्वामी नरेश (2017) "समान नागरिक संहिता, सवाल और सम्भावनाओ प्रतिमान पृष्ठ संख्या 39-54।*
5. *संसद टीवी, समान नागरिक संहिता कितना जरूरी।*
6. *अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 भारत का संविधान।*
7. *हिंदू कानून : हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू संरक्षकता और अल्पसंख्यक अधिनियम 1956, हिन्दू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम 1956, हिंदू संपति निपटान अधिनियम 1956।*
8. *मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत अधिनियम) 1937।*
9. *भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872।*
10. *भारतीय संविधान, 1950 का अनुच्छेद 32 और 226।*
11. *मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा1948।*
12. *मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम 1985 एस सी 945।*
13. *अनुच्छेद 44 भारत का संविधान 1950।*
14. *डैनियल लतीफी बनाम भारत संघ।*
15. *शायरा वानों बनाम भारत संघ।*
16. *प्रस्तावना के उद्देश्य, भारत का संविधान 1950।*

***